भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2212 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 31 जुलाई, 2026/9 श्रावण, 1948 (शक) को दिया जाना है

अलंग-सोसिया पोत पुनर्चक्रण यार्ड

†2212. श्री हरिभाई पटेल:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:

क्या पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अलंग-सोसिया पोत पुनर्चक्रण यार्ड में पुनर्चक्रित किए गए पोतों की टन में कुल क्षमता कितनी है और इनकी संख्या कितनी है तथा पुनर्चक्रण परिमाण में कमी के क्या कारण हैं;
(ख) श्रमिकों के लिए सृजित स्वास्थ्य और सामाजिक अवसंरचना और अस्पताल की सुविधाएं, आवासीय कॉलोनी तथा कल्याणकारी सुविधाएं क्या हैं;
(ग) लागू विनियम और संरक्षा प्रशिक्षण के उपाय क्या हैं और एचकेसी अनुपालन की स्थिति क्या है तथा यार्ड तक संपर्क में सुधार क्या हैं; और
(घ) केंद्र सरकार और गुजरात सरकार/जीएमबी द्वारा मंदी के दौर में पोत पुनर्चक्रण उद्योग को सहायता देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क): वर्ष 2025 में भारत दुनिया का अग्रणी पोत पुनर्चक्रण राष्ट्र बन गया है। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास (यूएनसीटीएडी) रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक पोत पुनर्चक्रण में भारत की हिस्सेदारी वर्ष 2024 के 30.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 35.4% हो गई है। भारत में पोत पुनर्चक्रण वर्ष 2024 के 1.86 मिलियन जीटी से काफी बढ़कर वर्ष 2025 में 2.99 मिलियन जीटी हो गया है, अर्थात् इसमें 60% की वृद्धि हुई है। गुजरात में 1982-83 में स्थापित अलंग-सोसया पोत पुनर्चक्रण यार्ड, भारत की पोत पुनर्चक्रण गतिविधियों का 98% हिस्सा संभाल रहा है। इस यार्ड में वर्तमान में 128 प्रचालनरत प्लॉट हैं जिनकी पुनर्चक्रण क्षमता 4.5 मिलियन एलडीटी प्रति वर्ष है। अपनी स्थापना के बाद से, अलंग यार्ड में 71 मिलियन एलडीटी से अधिक के 8,900 से अधिक पोतों का पुनर्चक्रण किया जा चुका है।

वैश्विक पोत पुनर्चक्रण की मात्रा वर्ष 2019 के 12.05 मिलियन ग्रॉस टन (जीटी) से लगभग 30% घटकर वर्ष 2025 में 8.48 मिलियन जीटी रह गई है, जिसका श्रेय कोविड-19 महामारी के बाद से उच्च चार्टर दरों, नए जलयानों की उच्च कीमतों और लाल सागर संकट जैसी भू-राजनीतिक स्थितियों जैसे कारकों

के कारण जलयानों के लंबे समय तक उपयोग किए जाने को दिया जा सकता है। व्यापक वैश्विक मंदी के रुझान के बीच भले ही पूर्ण पुनर्चक्रण मात्रा में गिरावट आई है, लेकिन वैश्विक परिदृश्य के संबंध में भारत की सापेक्ष बाजार हिस्सेदारी ने अधिक लचीलापन दिखाया है।

(ख): अलंग-सोसया पोत पुनर्चक्रण यार्ड के कार्मिकों हेतु एक व्यापक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण फ्रेमवर्क स्थापित किया गया है। मार्च 2019 में एक मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल शुरू किया गया था और जनवरी 2025 में इसे 35 बिस्तरों वाले लेवल III ट्रॉमा सेंटर में अपग्रेड किया गया। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा प्रचालित यह अस्पताल, गहन चिकित्सा कक्ष (आईसीयू), एमआरआई, सीटी स्कैन, बर्न यूनिट और ऑपरेशन थिएटर सहित उन्नत चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करता है। 43 स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की टीम से युक्त यह अस्पताल निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करता है और जून 2026 तक 4.79 लाख से अधिक रोगियों का उपचार कर चुका है। इसके अतिरिक्त, गुजरात के अलंग में एक अन्य प्राथमिक अस्पताल के रखरखाव और प्रचालन हेतु वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है।

कर्मचारी कल्याण के लिए, जीएमबी ने आवश्यक नागरिक सुविधाओं से युक्त 1,008 व्यक्तियों के आवास के लिए एक आवासीय कॉलोनी विकसित की है।

(ग): पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) ने जून 2025 में लागू हुए हांगकांग कन्वेंशन (एचकेसी), 2009 के साथ अलंग-सोसया पोत पुनर्चक्रण यार्डों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। एमओपीएसडब्ल्यू ने घरेलू पोत पुनर्चक्रण प्रथाओं को एचकेसी आवश्यकताओं के अनुरूप बनाते हुए पोत पुनर्चक्रण अधिनियम, 2019 पोत पुनर्चक्रण नियम, 2021 और पोत पुनर्चक्रण विनियम, 2026 के माध्यम से एक व्यापक विधिक फ्रेमवर्क स्थापित किया है। पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे स्वीकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधा प्रबंधन योजनाएं बनाए रखें और स्वीकृत पोत पुनर्चक्रण योजनाओं के माध्यम से पुनर्चक्रण कार्यों को क्रियान्वित करें। अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, जीएमबी ने निरीक्षण, प्रमाणन और अनुपालन सत्यापन के लिए मान्यता प्राप्त संगठनों को सूचीबद्ध (पैनल में शामिल) किया है, तथा साथ ही नियमित रूप से लेखापरिक्षा, सुरक्षा मॉनीटरिंग और पर्यावरणीय अनुपालन जांच भी की जाती है।

जीएमबी खतरनाक और गैर-खतरनाक अपशिष्ट लैंडफिल, अपशिष्ट उपचार सुविधाओं और भस्मीकरण (इंसिनरेशन) सुविधाओं से युक्त एक उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा के माध्यम से पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का रखरखाव करता है।

गुजरात मैरीटाइम बोर्ड द्वारा 2003 में स्थापित सुरक्षा और श्रम कल्याण संस्थान में 1.57 लाख से अधिक श्रमिकों को प्रशिक्षित किया गया है। पोत पुनर्चक्रण यार्डों में श्रमिकों के लिए अनिवार्य सुरक्षा प्रशिक्षण, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) का उपयोग, अग्निशमन, आपातकालीन प्रतिक्रिया और व्यावसायिक स्वास्थ्य मॉनीटरिंग को सख्ती से लागू किया जाता है।

पोत पुनर्चक्रण पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ के लिए, लौह अयस्क स्क्रैप विकास कोष (एफएसडीएफ) के तहत 53.5 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्डों को जारी की गई है। उठाए गए इन सक्रिय उपायों के परिणामस्वरूप, अलंग में 115 पोत पुनर्चक्रण प्लॉटों ने एचकेसी अनुपालन प्राप्त कर लिया है, जो सुरक्षा और पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल पोत पुनर्चक्रण में भारत की तैयारी और नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

अलंग-सोसया पोत पुनर्चक्रण यार्ड और भावनगर (लगभग 52 किमी दूर स्थित) के बीच संपर्कता में सुधार के लिए, त्रपाज जंक्शन से अलंग तक 7.7 किमी लंबी चार-लेन की सड़क का निर्माण पूरा कर लिया गया है, जो यार्ड को राष्ट्रीय राजमार्ग-51 (रा.रा.-51) से जोड़ती है।

(घ): भारतीय पोत पुनर्चक्रण उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 'पोत भंजन (शिपब्रेकिंग) क्रेडिट नोट योजना' शुरू की है। इस योजना के तहत, जब किसी एचकेसी अनुपालन प्राप्त भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्ड में पोत का पुनर्चक्रण किया जाता है, तो पोत स्वामियों को पुनर्चक्रित पोत के स्क्रैप मूल्य के 40% के बराबर एक क्रेडिट नोट दिया जाता है। इस क्रेडिट नोट का उपयोग किसी भारतीय शिपयार्ड में बनाए गए नए पोत के संविदा मूल्य के 5% तक के भुगतान के लिए किया जा सकता है, जिससे घरेलू पोत पुनर्चक्रण और पोत निर्माण दोनों को बढ़ावा मिलता है।

अन्य उपायों में मार्च 2035 तक पुनर्चक्रण के लिए आयातित जलयानों पर शून्य आयात शुल्क और विगत पांच वित्तीय वर्षों के दौरान जीएमबी द्वारा प्लॉट अनुमति धारकों को दी गई 145.23 करोड़ रुपये की वित्तीय छूट शामिल है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने यूरोपीय संघ की स्वीकृत पोत पुनर्चक्रण सुविधाओं की सूची में पात्र भारतीय पोत पुनर्चक्रण यार्डों को शामिल करने की प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए यूरोपीय प्राधिकारियों से संपर्क किया है।
